राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 02 / 2025

अपीलांटगण–

1. श्री अनोपसिंह पुत्र श्री लखसिंह
2. श्री गणपतसिंह पुत्र श्री लखसिंह
3. श्री भवानीसिंह पुत्र श्री राणसिंह
4. श्री माधोसिंह पुत्र श्री राणसिंह
5. श्रीमती मोरोकंवर पत्नी राणसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान सांगरानाडी, पाटोदी, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री चनणसिंह पुत्र रावतसिंह
2 श्री धनसिंह पुत्र रावतसिंह
3 श्रीमती सिरे कंवर पत्नी रावतसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान सांगरानाडी, पाटोदी, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।
4 श्री चम्पालाल पुत्र चुतराराम
5 श्री बाबूलाल पुत्र चुतराराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान सांगरानाडी, पाटोदी, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।
6 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़के बाड़मेर
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाटोदी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.1973 जो तहसीलदार पचपदरा (हाल पाटोदी) द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीराराम प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोरडेंटगण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा (हाल पाटोदी) के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 24.03.1973 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.01.2025 को पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा पाटोदी, पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पचपदरा (हाल पाटोदी) के खेत खसरा नंबर 2929, 2321, 2324, 2356, 2356/2, 2356/3, 2360, 2355, 2359, 2367 कुल रकबा 313.10 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.03.1973 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.1973 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.01.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की भुमि मौजा पाटोदी, पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पचपदरा (हाल पाटोदी) के खेत खसरा नंबर 2929, 2321, 2324, 2356, 2356/2, 2356/3, 2360, 2355, 2359, 2367 कुल रकबा 313.10 बीघा में अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की संयुक्त खातेदारी की थी। खसरा नंबर 2644/2360 व 2359 के खातेदारों ने अपने अपने रहवासीय मकानात, ढाणियां एवं पशुओं के बाड़े बना रखे थे। उक्त खसरे अपीलांट के हक में रखे गये। उक्त दोनों खसरों पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के रहवासीय मकानात, ढाणियां, पशुओं के बाड़े व टांके बने हुए है यानि रेस्पोडेंट के हक पूर्वाधिकारियों का पुश्तैनी रहवासीय मकान, ढाणियों, टांके अपीलांट के खातेदारी भूमि में बने हुए है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंट ने आपसी सहमति से अपना उक्त हिस्से का विभाजन करने हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। समस्त पक्षकरान कब्जे व रहवास अनुसार बंटवाड़ा करवाने पर सहमत हुए। मगर सभी खातेदारान अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से हल्का पटवारी को अपने अपने कब्जा व रहवास अनुसार बंटवाड़ा करने को कहा मगर तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा उक्त मौके व कब्जे की बिना जांच किये उक्त आलोच्य बंटवाड़ा आदेश पारित करवा दिया, जो मौके व कब्जे के विपरित है। कार्यालय में बैठकर कागजी व सरसरी तौर से मनमानी ढंग से विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत बंटवाड़ा करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आलोच्य निरस्त किय जाने योग्य है। उक्त खसरान आलोच्य भूमि पर हुए गलत विभाजन होने पर अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
बालोतरा

3.

तहसीलदार पचपदरा (हाल पाटोदी) द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 24.03.1973 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की सहमत है।

5. रेस्पोडेंटगण के योग्य अधिवक्ता दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की भुमि मौजा पाटोदी, पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पचपदरा (हाल पाटोदी) के खेत खसरा नंबर 2929, 2321, 2324, 2356, 2356/2, 2356/3, 2360, 2355, 2359, 2367 कुल रकबा 313.10 बीघा में अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि पर गलत विभाजन होने पर पक्षकारान के मध्य मौके पर विवाद उत्पन हो गया है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा (हाल पाटोदी) द्वारा पारित विभाजन आदेश 24.03.1973 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु समस्त रेस्पोडेंटगण सहमत है।

6. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा पाटोदी, पटवार मण्डल पाटोदी, तहसील पचपदरा (हाल पाटोदी) के खेत खसरा नंबर 2929, 2321, 2324, 2356, 2356/2, 2356/3, 2360, 2355, 2359, 2367 कुल रकबा 313.10 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.03.1973 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.1973 पारित किया गया। चूंकि समस्त पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा (हाल पाटोदी) द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा (हाल पाटोदी) द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 24.03.1973 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण

जिला कलक्टर
बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा (हाल पाटोदी) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा